

30.4.25

पत्रावली पं. 58) वकील 3 भाग पं. 58) /  
पत्रावली पं. 58) वकील 3 भाग पं. 58) /  
7.5.25 को पं. 58) /  
अध्यक्ष कलक्टर (पु.) सीकर

7/5/25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित।  
वकील वादी। वादी स्वयं को न्यायालय  
समय में बार-बार आवान पत्राने के  
बेवजह अनुपस्थित रहे। अतः पत्रावली  
अदम पेशगी/अदम हाजरी खारिज की  
जाती है। पत्रावली नष्ट से कम लेकर  
हाजिले दफ्तार हो। निवेदन खुले न्यायालय  
में सुनाया गया। /

अध्यक्ष कलक्टर (पु.) सीकर